# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक– 21.4.2025

प्रार्थना–पत्र संख्या :–3/2025

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

GCMS NO:- 2025/76

कोशल्या बाई पत्नी बद्रीलाल जाति बलाई नि. जजावर तहसील नैनवॉ

प्रार्थीया

**बनाम**

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट**

उपस्थितिः–

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।

**निर्णय दिनांक 30.5.2025**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जजावर मे खसरा नम्बर 4187/70 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका इन्द्राज अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2076–2079 मे हो रहा है। उक्त भूमि प्रार्थीया के खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे प्रार्थीया ही खेती काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि के सीमाज्ञान के लिए कई बार आवेदन तहसीलदार साहब नैनवॉ के यहां पेश किया गया परन्तु आज दिन तक भी सीमाज्ञान नही हुआ है। उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से आस पडोस से विवाद हो जाता हैं। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान का आवेदन पत्र की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे बताया कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 4187/70 की पत्थरगढी करवाना चाहती है जबकि उक्त खसरा नम्बर 4187/70 पर नोट संख्या 9 दिनांक 15.10.2024 से सभी काश्तकार पर श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवॉ के आदेश दिनांक 28.09.2022 के अनुसार मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अंतरिम निषेघाज्ञा का नोट लगा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 4187/70 का अब तक सीमाज्ञान नही हुआ है जिससे पत्थरगढी प्रकरण खारीज करने की अभिशंषा की गयी।

बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जजावर स्थित प्रार्थीया की भूमि ,खसरा नम्बर 4187/70 के सीमाज्ञान के लिए कई बार आवेदन तहसीलदार साहब नैनवॉ के यहां पेश किया गया परन्तु आज दिन तक भी सीमाज्ञान नही हुआ है। उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से आस पडोस से विवाद हो जाता हैं जिससे पत्थरगढी करने का निवेदन किया गया।

हमनें एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बरान 4187/70 पर मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्टे का नोट लगा हुआ है जिससे पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ